दक्षिण रेलवे

मदुरै रेलवे मंडल

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

संविधान का अनुच्छेद 51ए(ई) प्रत्येक नागरिक पर मौलिक कर्तव्य के रूप में महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का छोड देने का दायित्व डालता है।

रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1966 का नियम 3(सी) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने के प्रावधानों निम्नानुसार है:

(1) कोई भी रेल कर्मचारी कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य नहीं करेगा।

(2) कार्यस्थल के प्रत्येक प्रभारी रेल कर्मचारी, कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण। - (I) इस नियम के उद्देश्य ,-

क) "यौन उत्पीड़न" में निम्नलिखित कृत्यों या व्यवहारों में से कोई एक या अधिक शामिल हैं (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से) अर्थात्:-

(i) शारीरिक संपर्क और यौन संबंध बनाने का प्रयास;

(ii) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध;

(iii) यौन संबंधी आपत्तिजनक टिप्पणियां करना;

(iv) अश्लील सामग्री दिखाना;

(v) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

ख) निम्नलिखित परिस्थितियाँ, अन्य परिस्थितियों के साथ, यदि यौन उत्पीड़न के किसी कृत्य या व्यवहार के संबंध में घटित होती हैं या मौजूद होती हैं, तो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकती हैं:

(i) रोजगार में तरजीही व्यवहार का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वादा;

(ii) रोजगार में हानिकारक व्यवहार की अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष धमकी;

(iii) उसकी वर्तमान या भविष्य की रोजगार स्थिति के बारे में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष धमकी;

(iv) उसके काम में हस्तक्षेप करना या उसके लिए डराने वाला, अपमानजनक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना;

(v) अपमानजनक व्यवहार जिससे उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना हो।

क्या करें और क्या न करें

क्या करें

• याद रखें कि संविधान के तहत महिलाओं को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं:

क) लैंगिक समानता का अधिकार; लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्ति का अधिकार

ख) किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को करने का अधिकार

ग) जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार।

- कार्यस्थलों पर उनकी देखभाल की जानी चाहिए।
- ध्यान रहे कि भारत का संविधान, राज्य को उचित और मानवीय कार्य परिस्थितियों और मातृत्व अवकाश की प्रावधान के लिए का दायित्व देता है। कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के लिए भी यही प्रावधान करें।

• यह याद रखें कि संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य भी निर्धारित करता है कि वह महिलाओं की गरिमा को घटाने वाली प्रथाओं का त्याग करे। इनसे सावधान रहें।

• कार्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और बनाए रखने का हमेशा प्रयास करें।

• यह याद रखें कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने मानवाधिकारों की रक्षा करें और अस्वीकार्य और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करें।

• यह याद रखें कि महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं।

• कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करें।

• कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।

• यदि यौन उत्पीड़न किसी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति के कृत्य या चूक के परिणामस्वरूप होता है, तो पीड़ित व्यक्ति को सहायता और निवारक कार्रवाई के संदर्भ में सभी आवश्यक और उचित कदम उठाएं।

• यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को या तो अपराधी का तबादला करवाने या अपना स्वयं का तबादला करवाने का विकल्प होना चाहिए।

• रेलवे सेवा अनुशासन ओर अपील(डी & ए) नियम, 1968 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

• प्रत्येक संगठन में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक 'आंतरिक शिकायत समिति' होती है। शिकायत करने वाला कोई भी व्यक्ति इससे संपर्क कर सकता है।

• यौन उत्पीड़न के मामलों में विभागीय कार्रवाई के अलावा, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक उपाय का सहारा लेने से नहीं चूकना चाहिए:

क) किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना धारा 354 के तहत संज्ञेय अपराध है, जिसके लिए 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड निर्धारित है।

ख) किसी महिला की गरिमा को अपमानित करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना धारा 509 के तहत संज्ञेय अपराध है, जिसके लिए 1 वर्ष के साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड निर्धारित है।

क्या न करें

• महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लागू होते हैं और इसलिए इन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

• महिलाओं के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों की आलोचना न करें, क्योंकि वे भारत के संविधान के दायरे में ही बनाए गए हैं।

• कारखाना अधिनियम की धारा 66 के अनुसार, किसी भी महिला को सुबह 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे के अलावा किसी भी कारखाने में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

• महिला कर्मचारियों और सहकर्मियों के प्रति उचित शिष्टाचार का पालन करना न भूलें।

• कार्यस्थल पर किसी भी कर्मचारी को महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

• महिला कर्मचारियों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक संपर्क या अनुचित व्यवहार न करें। अन्यथा, यह यौन उत्पीड़न माना जाएगा।

• महिला कर्मचारियों पर कभी भी यौन संबंधी टिप्पणी न करें।

• कोई भी कर्मचारी किसी भी महिला कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अश्लील सामग्री न दिखाए और न ही दिखाने का प्रयास करे।

• किसी भी महिला कर्मचारी के साथ यौन प्रकृति का कोई भी अनुचित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार न करें।

• महिला कर्मचारियों को यौन वस्तु के रूप में न समझें।

• महिला कर्मचारियों को उनके रोजगार के संबंध में प्रतिकूल स्थिति में न डालें।

आंतरिक शिकायत समिति

क्र सं.	नाम सुश्री/श्रीमती	पदनाम
1	डॉ. आर.रेवती	अमुचिधी/रेअ/मदुरै
2	वी.स्वामीनाथन	व मंकाधि/मदुरै
3	डी.मोहनप्रिया	वमंवाप्र/मदुरै
4	एडलिन स्टेल्ला राजकुमार	एनजीओ सदस्य

उत्पीड़न की निराधार शिकायत न करें। इससे विशेष रूप से शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से महिलाओं की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।